कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः– 8082 दिनांकः–17/09/24

ई–निविदा सूचना

U. B. No. DLB2425GLOB08159

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से नगर निगम के वाहनों/मशीनों के लिए मूल निर्माता कम्पनी/उनके अधिकृत विक्रेता/रजिस्टर्ड फर्मों से विभिन्न प्रकार/क्षमता की बैटरी आपूर्ति के कार्य के लिए दो वर्ष के लिए अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते www.eproc.rajasthan.gov.in , www.lsg.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है ।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांकः– 8083 to 8093 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1 निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2 अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3 लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4 अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
6 प्रभारी ओसवाल डाटा प्रोसेसर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
7 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.lsg.rajasthan.gov.in/mcjs पर अपलोड करें।
8 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं एक क्षैत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
9 सहायक अभियंता (यांत्रिक) गैरेज शाखा दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
10 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
11 गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

कमांक:– 8082

DLB2425GLOB08159

दिनांक:– 17/09/24

ई–निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर, दक्षिण की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मो/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से निम्न कार्यो हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	17/09/24	05:00
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	17/09/24	05:30
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	30/09/24	03:00
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रकिया शुल्क के डी.डी/बैंकर्स चैक की मूल प्रति अधिशाषी अभियन्ता गैरेज रूम न : 324 नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	30/09/24	03:30
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	30/09/24	04:00

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रं. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	प्रकिया शुल्क (रूपये में)	निविदा की अवधि
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण के वाहनों/ मशीनों के लिए मूल निर्माता कम्पनी/उनके अधिकृत विकेता/रजिस्टर्ड फर्मो से विभिन्न प्रकार/क्षमता की बैटरी आपूर्ति के कार्य बाबत।	15,00,000/–	30,000/–	500/–	500/–	दो वर्ष

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार है:–

1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी।

2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी/बैंकर चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	30000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/ बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/ बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवानिवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

<u>कार्य का नाम</u> :— **मूल निर्माता कम्पनी/उनके अधिकृत विक्रेता/रजिस्टर्ड फर्मों से विभिन्न प्रकार/क्षमता की बैटरी आपूर्ति के कार्य हेतु दर निविदा का कार्य**

1. <u>निविदा प्रस्तुत करना</u> :—

1. निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय प्रस्ताव में उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाईन अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य नहीं पाये जाने पर उस निविदादाता के द्वारा वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :—

"आयुक्त"
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण
पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर, गौरव पथ, जोधपुर।
दुरभाश नं.— 02912651464

निविदादाता का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैक्स, ई–मेल, फोन नम्बर अंकित करें):—

....
....

2 <u>निविदादाता की पात्रता एवं निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड किये जावेगें:—</u>

2.1 निविदादाता फर्म के मालिक/फर्म का PAN CARD तथा निविदादाता फर्म का GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।

2.2 निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई– टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी./बैकर चैक की स्केन प्रति।

2.3 फर्म को किसी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी कार्यालय/निगम/बोर्ड से ब्लेक लिस्ट में नहीं होने का 100/— रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र तकनिकी बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.4 वितीय प्रस्ताव में रेट लिस्ट पर डिस्काउण्ट मांगा गया हो तो मैन्युफेक्चरर द्वारा अधिकृत की गई प्राईज लिस्ट अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करनी होगी।

2.5 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।

2.6 संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।

2.7 Joint Venture स्वीकार नहीं होगा।

2.8 निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 तक निर्धारित मापदण्डों हेतू आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में अनिर्वाय रूप से अपलोड करने होगें। इनके अभाव में निविदा दाता को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

3 <u>सामान्य शर्ते</u> :–

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय रुम नम्बर 324 में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा शुल्क व ई–प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उतरदायी नहीं है।
4. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम–शर्तो/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। प्रस्तुत दरें सभी करों सहित होगी। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
5. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण के सम्बन्ध में जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण कमरा न. 324 में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8. निविदा की अवधि दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से उसी दरों पर कार्य करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता एक वर्ष और कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियॉ होने पर नगर निगम किसी भी समय निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही निविदा में शेष बचे समय के लिए संवेदक को कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
9. नगर निगम एवं निविदादाता के मध्य निविदा एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगें। हिन्दी/अंग्रेजी के अतिरिक्त निविदा में सहायक दस्तावेज अन्य भाषा में होने पर इन दस्तावेजों का पूर्ण शुद्व रूपान्तरण हिन्दी/अग्रेजी भाषा में करके अपलोड करने होंगें।
10. नियमित कार्यो के समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। निविदादाता को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।
11. नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताऍ 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी :–
    (क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने हेतु।
    (ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैक की बैक गारण्टी/शेड्यूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।
    (ग) नगर निगम बैक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैक गांरटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
    (घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.पर ब्याज सहित जब्त होगी।
    (ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
12. सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।

13. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो जोधपुर नगर निगम इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

14. सफल निविदादाता के द्वारा निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नही किया जायेगा।

15. केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपकम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होगें।

16. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture):–** प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अशंतः समपहरण किया जा सकेगा।
(क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।
(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
(ग) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नही करता है।
(घ) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
(ड) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस सबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

17. निम्न स्थिति मे धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
(i) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तो में किसी तरह का संशोधन करता है।
(ii) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नही करता है।
(iii) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
(iv) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
(v) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।

18. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि–
(1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।
(2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
(3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।

19. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए जोधपुर नगर निगम उतरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज /शुद्विपत्र/संशोधन ई– प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।

20. निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाता अपनी जमा करवाई गई धरोहर राशि बिना ब्याज के रूम नं. 324, नगर निगम ऑफिस से प्राप्त की जा सकती है।

21. नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

22. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

23. कय अधिकारी किसी भी निविदा को, चाहे वह न्यूनतम न हो, स्वीकृत करने का, किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा के समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधिक को वितरीत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

24 विशेष परिस्थितियो में न्यूनतम दरदाता की असहमति पर नगर निगम जोधपुर अन्य फर्मो (नोन ए.आर. सी) से भी निविदा में अंकित कार्य करवा सकते हे जिसके लिये न्यूनतम दर दाता फर्म की कोई शिकायत/क्लेम मान्य नहीं होगा।

25 यदि सफल निविदादाता स्टैण्डर्ड/निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो स्वीकृत दरों पर L-2 को कार्यादेश जारी किया जायेगा।

26 सफल निविदादाता द्वारा निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

27 निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए फर्म के विरूद्ध RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु नगर निगम स्वतंत्र है।

28 निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तें यथा परिवर्तन लागू होगी।

29 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।

30 किसी भी विवाद में आयुक्त/महापौर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

4 **कार्य से सम्बंधित शर्ते:–**

1 वाहनों के कम्पनी निर्मित ऑरिजनल बैटरी आवश्यकतानुसार आपूर्ति करनी होगी। प्रत्येक बैटरी की न्यूनतम 18 माह की गारंटी एवं वारंटी होगी। गारन्टी एवं वारंटी अवधि में बैटरी खराब होने पर बदलकर नई बैटरी देनी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

2 बैटरियां उतम क्वालिटी की ISI, ISO, BIS मार्क की आपूर्ति करनी होगी। यदि ISI, ISO, BIS मार्क के संविदात्मक पार्टस बाजार में उपलब्ध नहीं है तो गैरेज प्रभारी के द्वारा इनकी प्रामाणिकता को चैक किया जायेगा तथा इनका निर्णय अन्तिम होगा।

3 Make :- Exide, Ameron

4 आदेश प्राप्त होने की तिथि से 2 दिन में बैटरी आपूर्ति करनी होगी अन्यथा रूपये 500/– प्रतिदिन पेनल्टी प्रस्तावित की जा सकेगी। आपूर्ति न करने पर नगर निगम संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर बाजार से बैटरी खरीदने हेतू स्वतंत्र रहेगा तथा बैटरी की अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी।

5 **निविदा प्रपत्र में संशोधन :–**

1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajsthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा ।

2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्य का नामः– नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से नगर निगम के वाहनों/मशीनों के लिए मूल निर्माता कम्पनी/उनके अधिकृत विक्रेता/रजिस्टर्ड फर्मों से विभिन्न प्रकार/क्षमता की बैटरी आपूर्ति के कार्य बाबत।

वित्तीय प्रस्ताव

क.स.	विवरण	संख्या	संवेदक द्वारा प्रस्तुत % Discount on Maximum Retail Price of Company
1	विभिन्न क्षमता की बैटरी आपूर्ति कार्य।	आवश्यकता अनुसार	..........................%

S.no.	Item Desciption	Rate (With All Texes)
1	Heavy Duty 12 Volt 180 AH 25 Plate	17668
2	Heavy Duty 12 Volt 150 AH 21 Plate	14790
3	Heavy Duty 12 Volt 130 AH 19 Plate	13024
4	Heavy Duty 12 Volt 100 AH 15 Plate	9139
5	Heavy Duty 12 Volt 88 AH 13 Plate	7631
6	Heavy Duty 12 Volt 80 AH 12 Plate	7221
7	Heavy Duty 12 Volt 65 AH 11 Plate	6519
8	Heavy Duty 12 Volt 5 AH 5 Plate	955

निविदादाता हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

परिशिष्ट – 'ब'

–:: अण्डर–टेकिंग ::–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नही होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन कार्य से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम, जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : ....

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर
मय सील

Municipal Corporation Jodhpur South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to Commissioner, Municipal Corporation Jodhpur South for procurement of -- in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;

3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceeding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date: Signature of Bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

Annexure A: Dispute Resolution Mechanism

Any dispute arising from the Contract shall be resolved amicably, as far as possible. The levels of the Dispute Resolution mechanism shall be as follows:

I. Amicable resolution between representatives of Parties to the Contract
II. If a question, difference or objection arises in connection with or out of the contract agreement or the meaning of operation of any part thereof or the rights, duties or liabilities of either party have not been settled by amicable resolution through mutual discussions, it shall be referred to the appropriate Empowered Dispute Resolution Committee for decision, if the amount of the claim is more than Rs. 50000/-.

Dispute Resolution Mechanism will have the following Committees at the levels of Head of the Department and Administrative Secretary of the Department:

1. Head of the Department Level Committee: to address disputes in contracts of value upto Rs. 10 lakh:

The Head of the Department Level Committee shall comprise of Head of the Department, Financial Advisor/ Chief Accounts Officer of the Department, Concerned Procuring Entity or Additional Head of the Department (Member -Secretary) and Representative of Law Department not below the rank of Legal Assistant.

2. Administrative Secretary Level Committee: to address disputes in contracts of value of more than Rupees 10 lakh.

The Administrative Department Level Committee shall comprise of Administrative Secretary of the Department, Representative of Finance Department not below the rank of Deputy Secretary, Law Secretary or his nominee, not below the rank of Joint Legal Remembrancer, Chief Engineer- cum - Addl. Secretary of the concerned department and Chief Engineer concerned [or Head of the Department, in case of other than a Works Department (Member- Secretary)].

NOTE: In case the Procuring Entity is other than a Department of the State Government, the concerned Administrative Department will decide the levels of various members of the two Dispute Resolution Committees.

III. Arbitration will be applicable in case of disputes arising in contracts above a value of more than Rs.1 crore which remain unresolved through the Dispute Resolution Committee.

IV. All legal proceedings, if necessary arise to institute by any of the parties shall have to be lodged in courts situated in Rajasthan and not elsewhere.

V. Procedure of reference to the Dispute Resolution Committee:-

The Consultant shall present his representation to the Procuring Entity along with a fee equal to two percent of the amount of dispute, not exceeding Rupees One lakh, within three months of occurrence of the Dispute. The Procuring Entity shall prepare a reply of representation and shall represent its stand before the concerned Dispute Resolution Committee. From the side of the Consultant, the claim case may be presented by himself or through a representative. After hearing both the parties, the Dispute Resolution Committee shall pronounce its decision which shall be final and binding both on the Consultant and the Procuring Entity.

Appendices

APPENDIX A – TERMS OF REFERENCE

[This Appendix shall include the final Terms of Reference (TORs) worked out by the Client and the Consultant during the negotiations; dates for completion of various tasks; location of performance for different tasks; detailed reporting requirements and list of deliverables against which the payments to the Consultant will be made; Client's input, including counterpart personnel assigned by the Client to work on the Consultant's team; specific tasks or actions that require prior approval by the Client.

Insert the text based on the Section IV (Terms of Reference) of the ITC in the RFP and modified based on the Forms TECH-1 through TECH-10 of the Consultant's Proposal. Highlight the changes to Section IV of the RFP]

……………………………………………………

APPENDIX B - KEY EXPERTS

[Insert a table based on Form TECH-6 of the Consultant's Technical Proposal and finalized at the Contract's negotiations. Attach the CVs (updated and signed by the respective Key Experts) demonstrating the qualifications of Key Experts.]

……………………………………………………

APPENDIX C – BREAKDOWN OF CONTRACT PRICE

[Insert the table with the unit rates to arrive at the breakdown of the lump-sum price. The table shall be based on Form FIN-3 and FIN-4 of the Consultant's Proposal and reflects any changes agreed at the Contract negotiations, if any. The footnote shall list such changes made to Form FIN-3 and FIN-4 at the negotiations or state that none has been made.]

[When the Consultant has been selected under Quality-Based Selection method, also add the following:

"The agreed remuneration rates shall be stated in the attached Model Form I. This form shall be prepared on the basis of Appendix A to Form FIN-3 of the RFP "Consultant's Representations regarding Costs and Charges" submitted by the Consultant to the Client prior to the Contract's negotiations.

Should these representations be found by the Client (either through inspections or audits pursuant to GCC Clause 7.10 or through other means) to be materially incomplete or inaccurate, the Client shall be entitled to introduce appropriate modifications in the remuneration rates affected by such materially incomplete or inaccurate representations. Any such modification shall have retroactive effect and, in case remuneration has already been paid by the Client before any such modification, (i) the Client shall be entitled to offset any excess payment against the next installment payment to the Consultant, or (ii) if there are no further payments to be made by the Client to the Consultant, the Consultant shall reimburse to the Client any excess payment within thirty (30) days of receipt of a written claim of the Client. Any such claim by the Client for reimbursement must be made within twelve (12) calendar months after receipt by the Client of a final report and a final statement approved by the Client in accordance with GCC Clause 10.9.3 of this Contract.]"